उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 2787–पारे0अनु0–16/पट्राकालि–2018–74/2013 दिनांक 27 जुलाई, 2018

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लि0।

विषय:– <u>उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति तथा वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश ऊर्जा अनुभाग–02 के आदेश संख्या–07/2017/1758/24–पी–2–17–सा0(144)/17, दिनांक 27.12.2017 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित दर से देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में ट्रान्समिशन कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4581–पारे0अनु0–16/पट्राकालि–2017–74/2013, दिनांक 29.12.2017 के माध्यम से आदेश जारी किया गया है।

उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा उनके पत्र संख्या–पे0नि0/ऊर्जा विभाग/अनु0–03(विविध)/2018/2878, दिनांक 28.02.2018 तथा पत्र संख्या–पे0नि0/ऊर्जा विभाग/अनु0–03(विविध)/2018/8382, दिनांक 01.06.2018 द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन की स्वीकृति एवं पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही हेतु उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा अनुभाग–02 के पत्र संख्या–5/2018/735/24–पी–2–18–सा0 (144)/2017, दिनांक 14.06.18 (प्रति संलग्न) के माध्यम से निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को निम्नवत् स्थिति स्पष्ट कराते हुए उसकी प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं अन्य को तत्सम कार्यवाही कराये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी है–

	निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा उठाये गये बिन्दु–	शासनादेश सं0–5/2018/735/24–पी–2–18–सा0 (144)/2017, दिनांक 14.06.2018 द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति–
बिन्दु सं0–1	दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन आवेदन हेतु प्रपत्र कौन से होंगे?	सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के मामले में पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिये आवेदन हेतु वे ही प्रपत्र प्रयोग में लाये जायेंगें, जो राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के सेवा–नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति हेतु प्रचलन में हैं।
बिन्दु सं0–2	दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवा–निवृत्त/मृत कार्मिकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरण किस अधिकारी के स्तर से पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे एवं पेंशन प्रपत्रों पर किस अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित कराये जाने होंगे?	पेंशन प्रपत्र, यथास्थिति, सम्बन्धित कम्पनी के मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)/महाप्रबन्धक (वित्त)/उप महाप्रबन्धक (वित्त) में से वरिष्ठतम अधिकारी के हस्ताक्षर से अग्रसारित किए जायेंगे। यदि किसी कम्पनी में उपर्युक्त पदधारी अधिकारी उपलब्ध न हो तो उस कम्पनी की लेखा शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी के हस्ताक्षर से पेंशन प्रपत्र अग्रसारित किए जाएंगे। पेंशन प्रपत्र अग्रसारण अधिकारी के सम्बन्ध में

		कम्पनीवार सूचना उनके नमूना अनिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित सचिव, उ0प्र0 राज्य पावर सेक्टर इम्पलाईज ट्रस्ट के द्वारा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों (निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन) को प्रेषित की जाएगी।
बिन्दु सं0-3	दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवा-निवृत्त/मृत कार्मिकों के सेवा-निवृत्त /मृत कार्मिक की सेवा का इतिहास किस अधिकारी के स्तर से सत्यापित किया जायेगा?	सेवा-निवृत्त/मृत कार्मिक के सेवा इतिहास का सत्यापन उक्त बिन्दु-2 में उल्लिखित अग्रसारण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
बिन्दु सं0-4	दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवा-निवृत्त/मृत कार्मिकों के सेवा पुस्तिका में किस अधिकारी के स्तर से किये गये वेतन निर्धारण को मान्यता दी जानी होगी?	सेवा पुस्तिका में अंकित वेतन निर्धारण की शुद्धता की सत्यापन उक्त बिन्दु-2 में उल्लिखित अग्रसारण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
बिन्दु सं0-5	दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवा-निवृत्त/मृत कार्मिकों के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा वेतन निर्धारण की जांच किस आधार पर किया जाना होगा तथा कितनी अवधि के वेतन निर्धारण की जांच की जानी होगी?	जिस प्रकार राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा के अन्तिम 34 महीनों के वेतन निर्धारण की जांच पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित है, उसी प्रकार विद्युत कम्पनियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी वेतन निर्धारण की शुद्धता की जांच पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा, सम्बन्धित कार्मिक की सेवा के अन्तिम 34 माहों की अवधि के लिए की जाएगी।
बिन्दु सं0-6	कोषागार से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान होने पर क्या किसी प्रकार का व्यय-भार कारपोरेशन/वितरण कंपनियों से राजकोष में जमा कराया जाना होगा, यदि व्यय-भार राजकोष में जमा कराया जाना होगा तो उक्त व्यय-भार की गणना किस प्रकार तथा किस स्तर से की जानी होगी, साथ ही उक्त व्यय-भार राजकोष में किस प्रकार से जमा कराया जाना होगा?	ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किये जाने वाले अंशदान के संबंध में शासनादेश दिनांक 13.01.2016 (शासन के स्पष्टीकरण पत्र दिनांक-14.06.2018 से प्रभावित दिनांक 01.01.2016) में आवश्यक व्यवस्था पूर्व में ही की जा चुकी है।
बिन्दु सं0-7	क्या उपरोक्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उ.प्र. राज्य के बाहर अन्य राज्यों के कोषागार से अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान आहरित किये जाने का विकल्प उपलब्ध होगा अथवा नहीं?	ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के सेवा-निवृत्त कार्मिकों को पेंशन का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश के कोषागारों द्वारा प्रदेश के अन्दर बैंको में खुले पेंशन खातों में ही किया जाएगा।
बिन्दु सं0-8	ऊर्जा विभाग के 01.01.2016 के पूर्व के सेवा-निवृत्त/मृत कार्मिको की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सम्बन्धित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा ही किया जाना होगा, जैसा की राज्य सरकार के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के सेवा-निवृत्त/ मृत कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था शासनादेश सं0 -23/2017/सा-3-329/दस/2017/308/2016 दिनांक 18.07.2017 द्वारा की गयी है?	दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरो के अन्तिम आहरित वेतन का विभिन्न वेतन आयोगो में प्रचलित वेतनमानों में प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण तथा इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन के निर्धारण का कार्य पूर्व की भांति सम्बन्धित ऊर्जा कम्पनी के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी जिनके स्तर से मूल पी0पी0ओ0 निर्गत है द्वारा किया जाएगा।

बिन्दु सं0-9	दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक सेवा-निवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों का निस्तारण।	दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक सेवा-निवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों का निस्तारण पूर्व व्यवस्था की भांति ऊर्जा क्षेत्र की सम्बन्धित कम्पनी के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी जैसा उक्त बिन्दु-8 में उल्लिखित है, के द्वारा किया जायगा।

उक्त के अतिरिक्त निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ के द्वारा दिनांक 01.01.16 को अथवा उनके उपरान्त सेवानिवृत्ति कार्मिकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी अपेक्षा की गयी है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सूची (कार्मिक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, सेवानिवृत्ति तिथि सहित) वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व अधिकतम फरवरी माह में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सहित पेंशन भुगतानादेश निर्गतकर्ता अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये ताकि प्राप्त पेंशन प्रकरणों का उक्त सूची से सिस्टम के माध्यम से मिलान हो जाये एवं Fake पेंशन प्रकरणों की सम्भावना न रहे। अस्तु आपसे अनुरोध है कि शासन द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट की गयी व्यवस्था/प्रक्रिया तथा पेंशन निदेशालय, लखनऊ के द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन का पुनरीक्षण एवं पेंशन स्वीकृति के सापेक्ष पेंशन भुगतान आदेश जारी कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)

संख्या : 207-पारे0अनु0-16/पाट्राकालि/2018-74/2013/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
7. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
10. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइड www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ए0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)